प्रेस नोट संख्या - 43
दिनांक 24.12.2024
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस
“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत थाना कमरौली पुलिस द्वारा 300 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत 30,00,000/- रुपये) व स्मैक बिक्री के 3,500/- रुपये के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व **“नशामुक्त अमेठी अभियान**” के तहत दिनांक 24.12.2024 को उ0नि0 शिवमूर्ति यादव थाना कमरौली मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर होण्डा साइन मोटरसाइकिल सं0 UP36F5287 सवार अभियुक्त शोएब अहमद पुत्र तौफीक अहमद निवासी सौना थाना कमरौली जनपद अमेठी उम्र करीब 35 वर्ष को कोयलारा क्रासिंग, सिन्दुरवा रोड के पास से समय करीब 09.05 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया। तलाशी से गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 300 ग्राम स्मैक व 3,500/- रुपये बरामद हुए।

बरामदगी के संबन्ध में पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैने यह स्मैक एतमाद हुसैन उर्फ मत्तू पुत्र जुबेर निवासी तेतारपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी से खरीदा है जिसे आज बेचने के लिए जा रहा था। बरामद रुपये के संबन्ध में बताया कि यह रुपये भी स्मैक बिक्री के हैं। अभियुक्त से होण्डा साइन मोटरसाइकिल सं0 UP36F5287 के कागज मांगने पर दिखा न सका। बरामदगी व गिरफ्तारी के संबन्ध में थाना कमरौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- शोएब अहमद पुत्र तौफीक अहमद निवासी सौना थाना कमरौली जनपद अमेठी उम्र करीब 35 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

- एतमाद हुसैन उर्फ मत्तू पुत्र जुबेर निवासी तेतारपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।

बरामदगी-

1. कुल 300 ग्राम स्मैक।
2. स्मैक बिक्री से प्राप्त 3,500- रुपये।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 185/24 धारा 8/21/23 एनडीपीएस एक्ट थाना कमरौली जनपद अमेठी।
2. होण्डा साइन मोटरसाइकिल सं0 UP36F5287। (अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 शिवमूर्ति यादव थाना कमरौली जनपद अमेठी।
2. हे0का0 सुरेश मिश्रा थाना कमरौली जनपद अमेठी।
3. का0 भानु प्रताप सिंह थाना कमरौली जनपद अमेठी।
4. का0 अभय प्रताप सिंह थाना कमरौली जनपद अमेठी।